ए.

जयाबेन

बनाम

तेजास कनुभाई जाला और ए. एन. आर. (2021 की आपराधिक अपील संख्या 1655) 10 जनवरी, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

अपीलः हत्या का मामला-उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की रिहाई के खिलाफ शिकायतकर्ता की अपील-अपीलार्थी-मूल शिकायतकर्ता और उसकी चाची और एक अन्य चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने परीक्षण पहचान परेड (टी. आई. पी.) में अभियुक्त की पहचान की है-पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन में कैद/रिकॉर्ड की गई थी-जांच के दौरान, घटना स्थल का पंचनामा तैयार किया गया था, गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे; अभियुक्त की परीक्षण पहचान की गई थी; घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज और डी. वी. आर. बरामद किए गए थे-पाइप और अपराध करने में इस्तेमाल किया गया बेल्ट बरामद किया गया था-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का उच्च न्यायालय का निर्णय-आयोजितः तथ्यों के साथ-साथ कानून के आधार पर भी अस्थिर नहीं-मृतक को आरोपी द्वारा बेरहमी से पीटा गया और इसके बावजूद और कथित अपराधों की गंभीरता पर विचार किए बिना और चश्मदीद गवाहों के बयानों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया-उच्च न्यायालय ने कथित अपराधों की गंभीरता और जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया, जो आरोप पत्र का हिस्सा हैं-ऐसे गंभीर मामले में और अपराधों की गंभीरता को देखते हुए और चश्मदीद गवाहों के बयानों पर विचार करते हुए और पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन में दर्ज की गई थी, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी को जमानत पर रिहा करने में गंभीर त्रुटि की है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जमानतःजमानत रद्द करना और उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के गलत आदेश को रद्द करना और अलग-अलग आधारों पर खारिज करना-शर्तों के उल्लंघन आदि के लिए जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करते समय और अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विचार करते समय अलग-अलग विचार होते हैं।

जी.

एच.

18

19

जयाबेन बनाम तेजास कनुभाई जाला और ए. एन. आर. ए.

ए.

आपराधिक न्याय का प्रशासन-हत्या के मामले में अभियुक्त की रिहाई-अभियोजन पक्ष द्वारा अपील दायर न करना-आयोजितःअभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को राज्य को प्राथमिकता देनी चाहिए थी-यह राज्य पर है कि वह उस व्यक्ति को कानून के दायरे में लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जिसने समुदाय के सामाजिक हित के खिलाफ काम किया है-यह अभियोजन निदेशक का कर्तव्य था कि वह त्वरित कार्रवाई करे जो वह करने में विफल रहा।

बी.

न्याय प्रशासन-आपराधिक मामलों में-अभियोजन निदेशक-की भूमिका-आयोजितःजहाँ तक आपराधिक मामलों में न्याय के प्रशासन का संबंध है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है-अभियोजन निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए की जाती है।25 एक सी. आर. पी. सी.-कि उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, एस जैसी स्थितियों से स्पष्ट है।25 ए (2) दंड प्रक्रिया संहिता, जो किसी व्यक्ति के लिए अभियोजन निदेशालय बनने के योग्य होने के लिए कम से कम दस साल का न्यूनतम कानूनी अनुभव निर्धारित करती है और यह कि ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.25A।

सी.

डी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** कानून के तय किए गए पूर्वस्थिति के अनुसार**,** जमानत को रद्द करना और उच्च न्यायालय द्वारा पारित गलत आदेश को रद्द करना और अलग**-**अलग आधारों पर आरोपी को जमानत पर रिहा करना।शर्तों के उल्लंघन आदि के लिए जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करते समय और न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश पर विचार करते समय अलग**-**अलग विचार किए जाते हैं।एक बार जब यह पाया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश अस्थिर है**,** तो आवश्यक परिणाम भुगतने होंगे और जमानत को रद्द करना होगा।**[**पैरा **9.4] [25-**एच**; 26-**ए**-**बी**]**

ई.

एफ.

2. ऐसे गंभीर मामले में अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के विवादित फैसलों और आदेशों के खिलाफ राज्य द्वारा अपील दायर नहीं करके**,** राज्य पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है।यह एक उपयुक्त मामला था जिसमें राज्य को अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली अपीलों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी।आपराधिक मामलों में जिस पक्ष को पीड़ित पक्ष माना जाता है**,** वह राज्य होता है जो बड़े पैमाने पर समुदाय के सामाजिक हित का संरक्षक होता है।

जी.

एच.

यह राज्य का दायित्व है कि वह उस व्यक्ति को कानून के दायरे में लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जिसने समुदाय के सामाजिक हित के खिलाफ काम किया है।**[**पैरा **11] [26-**ई**-**जी**]**

3. राज्य में अभियोजन निदेशक होता है।यहां तक कि अभियोजन निदेशक भी तत्काल मामले में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं।जहाँ तक आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन का संबंध है**,** अभियोजन निदेशक का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है।त्वरित निर्णय लेना अभियोजन निदेशक का कर्तव्य है।यह देखते हुए कि अपराधों को समग्र रूप से समाज के खिलाफ गलत माना जाता है**,** न्याय के प्रशासन में अभियोजन निदेशक की भूमिका महत्वपूर्ण है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **25** ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है।कि उसकी महत्वपूर्ण भूमिका संहिता की धारा **25** ए **(2)** जैसी शर्तों से स्पष्ट है**,** जो किसी व्यक्ति के लिए अभियोजन निदेशालय होने के योग्य होने के लिए कम से कम दस साल का कानूनी अनुभव निर्धारित करती है और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी।**[**पैरा **11] [26-**जी**-**एच**; 27-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

4. राज्य की ओर से यह निवेदन कि अपील करना है या नहीं**,** यह निर्णय लेने में समय लगता है**,** स्वीकार्य नहीं है।राज्य को इस तरह के गंभीर मामले में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए भी बहुत गंभीर होना चाहिए था**,** जहां एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या**/**हत्या कर दी गई थी**,** जब वह अपनी पत्नी और चाची के साथ कारखाने के बाहर कबाड़ इकट्ठा कर रहा था। अभियोजन निदेशक और राज्य का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि दोषियों पर मामला दर्ज किया जाए और उन्हें दंडित किया जाए।**[**पैरा **11] [27-**सी**-**डी**]**

ई.

एफ.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2021 की आपराधिक अपील संख्या 1655।

2018 के आर/आपराधिक अपील No.1502 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 04.02.2019 के निर्णय और आदेश से।के साथ

जी.

2021 की आपराधिक अपील संख्या 1656।

कॉलिन गोंजाल्विस, वरिष्ठ अधिवक्ता, शियास के. आर., सत्य मित्रा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

एच.

21

जयाबेन बनाम तेजास कनुभाई जाला और ए. एन. आर. ए.

ए.

हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, आर. विष्णु कुमार, साहित्य कृष्ण ए., रोहन शर्मा, पूर्विश जितेंद्र मलकन, जितेंद्र मलकन, सुश्री धरिता पी. मलकन, सुश्री दीपा गोरसिया, आलोक कुमार, सुश्री नंदिनी छाबड़ा, सुश्री भावना सरकार, सुश्री आस्था मेहता, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री प्रेरणा महापात्रा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की आर/आपराधिक अपील संख्या 1502 और 2019 की आर/आपराधिक अपील संख्या 2 में पारित किए गए विवादित निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त को रिहा कर दिया है, मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

सी.

2. सुविधा के लिए, 2018 की आपराधिक अपील No.1502 में पारित विवादित निर्णय और दिनांकित 04.02.2019 आदेश से उत्पन्न 2021 की आपराधिक अपील No.1655 में तथ्यों का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार हैंः-

डी.

2.1 अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मूल शिकायतकर्ता-यहाँ अपीलार्थी , उसकी चाची श्रीमती। सविता बेन और उनके पति मुकेशभाई (मृतक) एक कारखाने के बाहर खुली जगह से कबाड़ लेने गए थे।जब वे फैक्ट्री क्षेत्र के पीछे से कबाड़ उठा रहे थे, तो पांच लोग (आरोपी) वहां आए और उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और उसके बाद शुरू में फैक्ट्री के बाहर उन तीनों को पीटना शुरू कर दिया।इसके बाद पांच अभियुक्तों ने मूल शिकायतकर्ता के पति मुकेशभाई को कारखाने के गेट से बांध दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार जयाबेन-मूल शिकायतकर्ता और उसकी चाची को जाने के लिए कहा गया था।वे चले गए और उसके बाद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सूचित किया और जब वे लौटे तो उन्होंने मुकेशभाई को बेहोश और गंभीर रूप से घायल पाया।उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।पुलिस स्टेशन, शापर (वेरावल) में सी. आर. नं. के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 2018 का I/38 पांच अभियुक्तों के विरुद्ध, जिनमें संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 शामिल हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 172,114,323, गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135,37 (1) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (5) के तहत अपराधों के लिए। संबंधित Dy.SP गोंडाल प्रभाग द्वारा और उसके बाद Dy.SP (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) द्वारा जांच की गई थी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

एसटी प्रकोष्ठ) राजकोट ग्रामीण।अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी ँअपीलार्थी चअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी बअपीलार्थी ाअपीलार्थी दअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी भअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी भअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ुअपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ोअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी खअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ाअपीलार्थी ँअपीलार्थी चअपीलार्थी)अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी खअपीलार्थी िअपीलार्थी लअपीलार्थी ाअपीलार्थी फअपीलार्थी अपीलार्थी भअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी तअपीलार्थी ीअपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ंअपीलार्थी डअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी हअपीलार्थी िअपीलार्थी तअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 8 अपीलार्थी 6 अपीलार्थी 0 अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी धअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी 3 अपीलार्थी 0 अपीलार्थी 2 अपीलार्थी ,अपीलार्थी 3 अपीलार्थी 4 अपीलार्थी 2 अपीलार्थी ,अपीलार्थी 3 अपीलार्थी 5 अपीलार्थी 4 अपीलार्थी ,अपीलार्थी 3 अपीलार्थी 2 अपीलार्थी 3 अपीलार्थी ,अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 4 अपीलार्थी 3 अपीलार्थी ,अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 4 अपीलार्थी 7 अपीलार्थी ,अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 4 अपीलार्थी 8 अपीलार्थी ,अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 4 अपीलार्थी 9 अपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी नअपीलार्थी ुअपीलार्थी सअपीलार्थी ूअपीलार्थी चअपीलार्थी िअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी नअपीलार्थी ुअपीलार्थी सअपीलार्थी ूअपीलार्थी चअपीलार्थी िअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी नअपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी अअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी चअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी णअपीलार्थी)अपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी मअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 9 अपीलार्थी 8 अपीलार्थी 9 अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी धअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी 3 अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी 1 अपीलार्थी)अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी आअपीलार्थी रअपीलार्थी)अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी एअपीलार्थी सअपीलार्थी)अपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी 3 अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी 2 अपीलार्थी)अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी 5 अपीलार्थी)अपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी

रअपीलार्थी अपीलार्थी गअपीलार्थी ुअपीलार्थी जअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ुअपीलार्थी लअपीलार्थी िअपीलार्थी सअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी मअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 9 अपीलार्थी 5 अपीलार्थी 1 अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी धअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 3 अपीलार्थी 5 अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी तअपीलार्थी हअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी पअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी धअपीलार्थी ोअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी लअपीलार्थी िअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी आअपीलार्थी रअपीलार्थी ोअपीलार्थी पअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ाअपीलार्थी यअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी गअपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी ।अपीलार्थी उस प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यहां विद्वत सत्र न्यायालय, गोंडाल के समक्ष जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए जमानत याचिका विद्वान की, जिसे दिनांक 18.09.2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन को अस्वीकार करने और प्रत्यर्थी संख्या 1-जमानत पर अभियुक्त को रिहा करने से इनकार करने के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1-अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की वर्तमान आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी।विवादित निर्णय और दिनांक 04.02.2019 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी नंबर 1-मूल आरोपी-तेजास कनुभाई जाला को उपरोक्त मामले के संबंध में जमानत पर रिहा कर दिया है।2019 की एक अन्य आपराधिक अपील में एक अन्य आरोपी-जयसुखभाई देवराजभाई रडाडिया-प्रत्यर्थी संख्या 1 को मुख्य रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया गया है कि सह-आरोपी-तेजास कनुभाई जाला को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और यह भी देखते हुए कि अब तक उक्त आरोपी को इस तथ्य के अलावा कि वह घटना स्थल के पास खड़ा पाया गया था, उसके खिलाफ कोई और सामग्री नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

3. संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।4. हमने सुना है कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कॉलिन गोंजाल्विस, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री आस्था मेहता और प्रत्यर्थी नंबर 1-अभियुक्त-तेजास कनुभाई जाला और प्रत्यर्थी नंबर

1-अभियुक्त-जयसुखभाई देवराजभाई रदादिया की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पुरविश जितेंद्र मलकन की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुज़ेफा अहमदी।

एफ.

जी.

5. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोंजाल्विस ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने में भौतिक रूप से गलती की है जहां शिकायतकर्ता के पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

एच.

23

जयाबेन बनाम तेजास कनुभाई जाला और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है कि पूरी तरह से जांच के बाद, अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 242,342,354,323,143,147,148,149, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (आर), 3 (2) (5) और गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस तरह से आरोपी ने मृतक मुकेशभाई को पीटा था और कई चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी, उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करते हुए, आरोपी के खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और उन आधारों पर जो मान्य नहीं हैं, उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है।

बी.

सी.

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है कि वास्तव में शिकायतकर्ता और उसकी चाची चश्मदीद गवाह हैं।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि पूरी घटना मोबाइल के साथ-साथ सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड की गई थी। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोंजाल्विस ने हमें आरोप पत्र से संबंधित सामग्री के साथ-साथ उन तस्वीरों पर भी ले गए हैं जिनमें यह पाया गया है कि मृतक को दरवाजे पर रस्सी से बांधा गया था और आरोपी मृतक को पीट रहे थे।5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक अभियुक्त जयसुखभाई देवराजभाई रडाडिया का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सिर्फ खड़ा था और उसके द्वारा आगे कोई स्पष्ट कार्य नहीं किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह वह व्यक्ति था जिसने न केवल मृतक को पीटा, बल्कि उसने मृतक को बांध

दिया और यह सुनिश्चित किया कि मृतक हिल न सके।5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि दोनों चश्मदीद गवाहों द्वारा परीक्षण पहचान परेड (टी. आई. पी.) में सभी अभियुक्तों की पहचान की गई थी।

डी.

ई.

एफ.

5.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की मृत्यु कठोर और कुंद वस्तु के कारण सिर और शरीर पर मौजूद कई चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी।

जी.

5.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में उच्च न्यायालय को इस स्तर पर चश्मदीद गवाहों के बयानों को दरकिनार नहीं करना चाहिए था।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने में भौतिक रूप से गलती की है।

6. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री आस्था मेहता ने अपीलार्थी का समर्थन किया है।यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय में

एच.

तथ्यों और परिस्थितियों को किसी गंभीर अपराध के संबंध में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए था, जहां एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई हो।जब हमने राज्य की ओर से पेश वकील से एक स्पष्ट सवाल पूछा कि इतने गंभीर मामले में राज्य ने अपील क्यों नहीं की, तो उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि राज्य को भी अपील दायर करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अपील करने का निर्णय लेने में समय लगता है, वर्तमान मामले में राज्य ने अभी तक प्रतिवादियों की रिहाई को चुनौती देने वाली अपील को प्राथमिकता नहीं दी होगी-जमानत पर आरोपी।7. अभियुक्त तेजास कनुभाई जाला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुज़ेफा अहमदी ने विद्वान कि वर्तमान मामले में अभियुक्त को फरवरी, 2019 के महीने में जमानत पर रिहा कर दिया गया है और तब से वह जमानत पर है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने के बाद, स्वतंत्रता के

दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है और इसलिए यह न्यायालय ढाई साल के बाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द नहीं कर सकता है।

बी.

सी.

7.1 अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अहमदी ने आगे विद्वान कि उसके बाद भी मुकदमा आगे बढ़ गया है और जांच अधिकारी (आई. ओ.) को छोड़कर अधिकांश गवाहों से पूछताछ की जाती है और इसलिए जमानत भी रद्द नहीं की जा सकती है।7.2 अभियुक्त-जयसुखभाई देवराजभाई रदादिया की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्विश जितेंद्र मलकान ने सह-अभियुक्त-तेजास कनुभाई जाला की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अहमदी द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार विद्वान है और ढाई साल की अवधि के बाद जमानत रद्द नहीं करने का अनुरोध विद्वान है।

डी.

ई.

8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

एफ.

9. हमने भी देखा है और अभिलेख पर सामग्री पर विचार किया है।हमने उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के विवादित आदेशों को भी देखा और उन पर विचार किया है।

9.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संबंधित अभियुक्त भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 3 (1) (आर) (ओं), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (5) और गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत अपराधों का सामना कर रहे हैं।कि गहन जाँच के बाद जाँच अधिकारी द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

जी.

एच.

9.2 अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार आरोपी ने मृतक को गेट से बांध दिया जब मृतक, शिकायतकर्ता और उसकी चाची कारखाने परिसर के बाहर कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे।अभियुक्तों ने

मृतक को पाइप और बेल्ट से बांधने पर पीटा है।उन्हें कई गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक-पीड़ित की मौत का कारण सिर और शरीर पर मौजूद कई चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव था, जो कठोर और कुंद वस्तु के कारण हुआ था।9.3 इसमें अपीलार्थी -मूल शिकायतकर्ता और उसकी चाची और एक अन्य चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने परीक्षण पहचान परेड (टी. आई. पी.) में अभियुक्त की पहचान की है।पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन में कैद/रिकॉर्ड हो गई है।जाँच के दौरान, घटना स्थल का पंचनामा तैयार किया गया है, गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं; अभियुक्त की परीक्षण पहचान की गई है; घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर बरामद किए गए हैं।अपराध में प्रयुक्त पाइप और बेल्ट बरामद कर ली गई है।यह देखा जा सकता है कि मृतक मुकेशभाई को अभियुक्तों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था और उपरोक्त के बावजूद और कथित अपराधों की गंभीरता पर विचार किए बिना और चश्मदीद गवाहों के बयानों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेशों द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया है।उच्च न्यायालय ने कथित अपराधों की गंभीरता और जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, जो आरोप पत्र का हिस्सा हैं।हम गुण-दोष पर आगे टिप्पणी करने से बचते हैं क्योंकि मुकदमा चल रहा है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इस तरह के गंभीर मामले में और अपराधों की गंभीरता को देखते हुए और चश्मदीद गवाहों के बयानों पर विचार करते हुए और पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन में दर्ज की गई है, उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी को जमानत पर रिहा करने में गंभीर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के निर्णय और आदेश तथ्यों के साथ-साथ कानून दोनों के आधार पर अस्थिर हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

9.4 अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों द्वारा अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किए जाने के ढाई साल से अधिक समय बीत चुका है और स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है और इसलिए जमानत रद्द नहीं की जा सकती है, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।कानून की तय की गई पूर्व स्थिति के अनुसार, जमानत रद्द करना और

एच.

उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के गलत आदेश को अलग-अलग आधारों पर रद्द करना और रद्द करना।शर्तों के उल्लंघन आदि के लिए जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करते समय और न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश पर विचार करते समय अलग-अलग विचार किए जाते हैं।एक बार जब यह पाया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश अस्थिर है, तो आवश्यक परिणाम भुगतने होंगे और जमानत को रद्द करना होगा।

बी.

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, ये दोनों अपीलें सफल होती हैं।उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 2018 के संबंध में सी. आर. No.I/38 है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 172,114,323, गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135,37 (1) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (5) के तहत अपराधों के लिए शापर (वेरावल) के पुलिस स्टेशन में दर्ज है, अपास्त करना कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।चूंकि आरोपी जमानत पर हैं, इसलिए हम आरोपी-प्रत्यर्थी नंबर 1-2021 की आपराधिक अपील No.1655 में तेजास कनुभाई जाला और आरोपी-प्रत्यर्थी नंबर 1-2021 की आपराधिक अपील No.1656 में जयसुखभाई देवराजभाई रदादिया को आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं, जिसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाते हैं।तदनुसार वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है।11. अलग होने से पहले, हम देख सकते हैं कि ऐसे गंभीर मामले में अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के विवादित फैसलों और आदेशों के खिलाफ राज्य द्वारा अपील दायर नहीं करने से, राज्य पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है।हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला था जिसमें राज्य को उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेशों को चुनौती देने वाली अपीलों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी।आपराधिक मामलों में जिस पक्ष को पीड़ित पक्ष के रूप में माना जाता है, वह राज्य है जो बड़े पैमाने पर समुदाय के सामाजिक हित का संरक्षक है और इसलिए यह राज्य का काम है कि वह उस व्यक्ति को लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जिसने समुदाय के सामाजिक हित के खिलाफ काम किया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

यह बताया गया है कि राज्य में एक अभियोजन निदेशक है।यहां तक कि अभियोजन निदेशक भी तत्काल मामले में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं।जहाँ तक आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन का संबंध है, अभियोजन निदेशक का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अभियोजन निदेशक का कर्तव्य है कि वह शीघ्र ए.

एच.

निर्णय लें।यह देखते हुए कि अपराधों को समग्र रूप से समाज के खिलाफ गलत माना जाता है, न्याय के प्रशासन में अभियोजन निदेशक की भूमिका महत्वपूर्ण है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है।यह कि उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, संहिता की धारा 25 ए (2) जैसी शर्तों से स्पष्ट है, जो किसी व्यक्ति के लिए अभियोजन निदेशालय होने के योग्य होने के लिए कम से कम दस साल का कानूनी अनुभव निर्धारित करती है और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी।

बी.

सुश्री आस्था मेहता द्वारा राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह निर्णय लेने में समय लगता है कि अपील को प्राथमिकता दी जाए या नहीं, यह स्वीकार्य नहीं है।राज्य को इस तरह के गंभीर मामले में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए भी बहुत गंभीर होना चाहिए था, जहां एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या/हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी पत्नी और चाची के साथ कारखाने के बाहर कबाड़ इकट्ठा कर रहा था।अभियोजन निदेशक और राज्य का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि दोषियों पर मामला दर्ज किया जाए और उन्हें दंडित किया जाए।

सी.

डी.

हम आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में राज्य सरकार/राज्य सरकार का कानूनी विभाग और अभियोजन निदेशक इस तरह के मामलों में त्वरित निर्णय लेंगे और निचली विचारण न्यायालय और/या उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देंगे, जहां यह पाया जाता है कि आरोपी वर्तमान जैसे गंभीर अपराधों में जमानत पर रिहा हैं।

ई.

हम आशा और विश्वास करते हैं कि हमारी टिप्पणियां गुजरात राज्य की राज्य सरकार/कानूनी विभाग और गुजरात राज्य के अभियोजन निदेशक तक पहुंचेंगी।हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह इस आदेश की प्रति प्रधान मुख्य सचिव और सचिव, गृह विभाग और कानूनी विभाग, गुजरात राज्य को भेजें ताकि आगे सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

एफ.

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

जी.

एच.